



संख्या-307/2026/1/1410331/2026/005/23-6099/37/2024

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत वाराणसी क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 18 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो०नि०वि०, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत वाराणसी क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 18 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू० 750.82 लाख (रूपये सात करोड़ पचास लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय मुख्य अभियंता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरांत कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23609/CE-SEB/RVB/VNS/2026-27 Dt- 08-07-2026	नि.ख.-2 जौनपुर	जनपद जौनपुर में भड़हरी से पाली के बीच नाले पर 2x5x5 मी० बॉक्स कल्वर्ट, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण का कार्य।	127/2026/आई/1275391/2026/23-6099/99/2026-दिनांक-21-03-2026	118.36 118.36 7.03 111.33	1.47	109.86	39.40	10.60	50.00
2	तदैव	नि.ख.-2 जौनपुर	जनपद जौनपुर में इटहरा से सतमेसरा होते हुए बाबूराम के घर तक सम्पर्क मार्ग के किमी० 3 में स्थित गांगी नदी पर सक्करे एवं क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 3x7x5 मीटर स्पान के बाक्स कल्वर्ट, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	127/2026/आई/1275391/2026/23-6099/99/2026-दिनांक-21-03-2026	162.00 162.00 6.04 155.96	2.00	153.96	47.27	12.73	60.00
3	तदैव	प्रा.ख. गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में गोमती ब्रिज डायवर्जन मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी०-2 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 5x5x5 मी० स्पान के बॉक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	188/2024/1229/001-1229-23-10-16-2024-दिनांक-12-11-2024	256.02 256.02 0.35 255.67	242.89	12.78	10.07	2.71	12.78
4	तदैव	प्रा.ख. गाजीपुर	जनपद गाजीपुर के दीवान पट्टी सम्पर्क मार्ग के किमी०-1 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x3x3 मी० के बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	53/2026/आई/1253436/2026/23-6099/52/2026-दिनांक-27-02-2026	60.34 60.34 4.70 55.64	0.91	54.73	38.74	10.43	49.17
5	तदैव	प्रा.ख. गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में पतरहीं से नवादा गदनपुर बहुरा सम्पर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3X3X3 मी० के बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य का प्रारम्भिक आगणन	74/2026/आई/1263754/2026/23-6099/41/2026-दिनांक-12-03-2026	56.75 56.75 0.14 56.61	0.20	56.41	39.99	10.76	50.75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6	तदैव	प्रा.ख. गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में इकरा कौड़ा मुख्य से कौड़ा सम्पर्क मार्ग पर स्थित नाला पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x2x2 मी० स्थान के बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	126/2026/आई/127 5382/2026/23-60 99/98/2026-दिनांक-21-03-2026	38.90 38.90 0.35 38.55	0.58	37.97	26.88	7.24	34.12
7	तदैव	प्रा.ख. चंदौली	जनपद चन्दौली में ग्राम पचोखर के तकिया में गड़ई नदी पर बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	316/2025/आई/113 0328/2025/23-60 99/180/2025-दिनांक-31-10-2025	182.96 182.96 0.27 182.69	10.00	172.69	39.40	10.60	50.00
8	तदैव	नि.ख.- 1 वाराणसी	जनपद वाराणसी में नागपुर सम्पर्क मार्ग के कि०मी०-1 में 3x3x3 मी० स्थान बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	02/2026/आई/1192 587/2026/23-609 9/239/2025-दिनांक-01-01-2026	31.09 31.09 2.52 28.57	0.26	28.31	18.91	5.09	24.00
9	तदैव	नि.ख.- 1 वाराणसी	जनपद वाराणसी में खलिशपुर कथना से कटवारूपुर मार्ग पर 3x3x3 मी० बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	04/2026/आई/1193 396/2026/23-609 9/ 204/ 2025-दिनांक-02-01-2026	31.33 31.33 2.54 28.79	0.26	28.53	18.91	5.09	24.00
10	तदैव	नि.ख.- 1 वाराणसी	जनपद वाराणसी में खगरामपुर भीर नहर मार्ग पर टोडरपुर पटेल बस्ती एवं ब्राह्मण बस्ती मार्ग पर 2x3x3 मीटर बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	04/2026/आई/1193 396/2026/23-609 9/ 204/ 2025-दिनांक-02-01-2026	35.91 35.91 2.91 33.00	0.30	32.70	20.49	5.51	26.00
11	तदैव	नि.ख.- 1 वाराणसी	जनपद वाराणसी में कंसरायपुर ढेकहा मार्ग पर 02 नग 2x3x3 मी० आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के का	04/2026/आई/1193 396/2026/23-609 9/ 204/ 2025-दिनांक-02-01-2026	91.09 91.09 3.49 87.60	0.65	86.95	51.21	13.79	65.00
12	तदैव	नि.ख.- 1 वाराणसी	जनपद वाराणसी में रामपुर सकलपुर बरकी मार्ग पर 2x3x3 मीटर बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	04/2026/आई/1193 396/2026/23-609 9/ 204/ 2025-दिनांक-02-01-2026	34.95 34.95 2.83 32.12	0.29	31.83	22.06	5.94	28.00
13	तदैव	नि.ख.- 1 वाराणसी	जनपद वाराणसी में भीर डोमनपुर मार्ग पर 3x3x3 मीटर आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	04/2026/आई/1193 396/2026/23-609 9/ 204/ 2025-दिनांक-02-01-2026	77.64 77.64 3.49 74.15	0.65	73.50	48.85	13.15	62.00
14	तदैव	नि.ख.- 1 वाराणसी	जनपद वाराणसी में भीर जोगापुर मार्ग पर 3x3x3 मी० आर०सी०सी० बाना कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	04/2026/आई/1193 396/2026/23-609 9/ 204/ 2025-दिनांक-02-01-2026	68.77 68.77 0.16 68.61	0.58	68.03	48.06	12.94	61.00
15	तदैव	नि.ख.- 1 वाराणसी	जनपद वाराणसी में पंचकोशी मार्ग पर हरपुर मेहदीगंज मड़ई सम्पर्क मार्ग के कि०मी०-1 में 3x3x3 मीटर आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	04/2026/आई/1193 396/2026/23-609 9/ 204/ 2025-दिनांक-02-01-2026	31.33 31.33 2.54 28.79	0.26	28.53	19.70	5.30	25.00
16	तदैव	नि.ख.- 1 वाराणसी	जनपद वाराणसी में भगवानपुर में किरण स्टील से गार्डेनिया मुख्य मार्ग पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त स्लेब कल्वर्ट के स्थान पर 2x3x6 मी० स्थान के बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	04/2026/आई/1193 396/2026/23-609 9/ 204/ 2025-दिनांक-02-01-2026	82.77 82.77 0.86 81.91	0.68	81.23	52.79	14.21	67.00
17	तदैव	नि.ख.- 1 वाराणसी	जनपद वाराणसी में कल्लूपुर बेनीपुर दीनदासपुर मार्ग के कि०मी०-1 में 3x3x3 मी० स्थान बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	127/2026/आई/127 5391/2026/23-60 99/99/2026-दिनांक-21-03-2026	31.09 31.09 1.80 29.29	0.25	29.04	19.70	5.30	25.00
18	23679/CE- SEB/RVB/V NS/2026- 27 Dt- 10- 07-2026	प्रा.ख. जौनपुर	जनपद जौनपुर में सिपाह चाचकपुर में श्री तेग बहादुर गुरूदारा के पास बाक्स कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।	308/2025/आई/112 7572/2025/001-2 3-6099/177/2025-दिनांक-30-10-2025	64.73 64.73 0.20 64.53	20.30	44.23	29.15	7.85	37.00
कुल योग								591.58	159.24	750.82

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
 - (2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
 - (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
 - (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।
 - (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
 - (7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।
 - (8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 5,91,58,000 (रुपये पाँच करोड़ इक्यानबे लाख अठ्ठावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,59,24,000 (रुपये एक करोड़ उनसठ लाख चौबीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शेषनाथ)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
- (4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
- (5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) संबंधित कोषाधिकारी।
- (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
- (9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- (10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।